



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

सं०: 1484/B.F.T./2/09-10

दि०: 30.05.2017
परिशिष्ट-6

भाग-द

पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड, आगरा स्थित भूखण्ड संख्या 03 (खसरा सं० 34/36 मौजा बुढ़ेरा) पर निर्मित होटल रमादा के सम्बन्ध में नन्द एस्टेट डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर श्री सुनील मंघरानी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र दिनांक 17.03.2017 एवं उसके संलग्नकों व अन्य प्रपत्रों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण श्री वी०पी०सिंह, अवर अभियंता श्री ए०के०सिंह, नगर नियोजक एवं श्री एन०के०चौधरी, अधिशासी अभियंता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा किया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा शमनित मानचित्र दिनांक 21.01.2013 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर :

[Handwritten Signature]
30/5/17

पदनाम : उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

कार्यालय की मुहर :

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

दिनांक : 30.05.2017

received.
S. N. L



आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

नगर नियोजक/अधिकासी अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक

कृपया दाहिनी ओर संलग्न नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा०लि० के प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.03.17 जोकि पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया गया है के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मै० नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा०लि० व अन्य कम्पनियों द्वारा ख०सं० 34, 35, 36 मौजा बुढेरा पर स्वीकृत तलपट मानचित्र के भू०सं०-3 पर होटल निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र दि० 29.04.10 को स्वीकृत कराया गया है। प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में रमाडा होटल के नाम से होटल संचालित किया जा रहा है। निर्माण के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा स्थल पर विचलन करते हुए जो निर्माण किया गया है उसका शमन प्रवर्तन की पत्रावली संख्या एन०एफ०टी०/वी०सी०/74/11-12 के द्वारा कराया जा चुका है। वर्तमान में शमन मानचित्र के अनुरूप स्थल पर निर्माण है। स्थल का निरीक्षण मेरे साथ नगर नियोजक श्री ए०के० सिंह एवं अधिकासी अभियन्ता श्री एन०के० चौधरी द्वारा किया गया है।

पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व विकासकर्ता द्वारा जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन भवन उपविधि में निर्धारित परिशिष्ट-6 पर किया गया है।
2. प्रश्नगत भवन के स्ट्रक्चर डिजाईन श्री इकबाल बहादुर द्वारा जिनकी सदस्य संख्या एम-138830-9 है, के द्वारा किया गया है। भूकम्परोधी प्रपत्रों के साथ प्रमाण-पत्र भी उपरोक्त इंजीनियर द्वारा दिया गया है।
3. पर्यवेक्षक का कार्य श्री इकबाल बहादुर एवं आर्की० मुकुल शर्मा द्वारा किया गया है। भूकम्परोधी प्रपत्रों के साथ प्रमाण-पत्र भी दिया गया है।
4. स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट भी ई० इकबाल बहादुर द्वारा दिया गया है।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण-पत्र आर्की० मुकुल शर्मा द्वारा दिया गया है।
6. सोलर सिस्टम हेतु भी प्रमाण-पत्र आर्की० मुकुल शर्मा द्वारा दिया गया है।
7. अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
 - 7.1 आवेदक द्वारा फायर विभाग से अनापत्ति पत्रांक संख्या फा०स०-अ०सु०निरी०-सा०-51/16 दिनांक नवम्बर 11, 2016 प्राप्त किया गया है।
 - 7.2 आवेदक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु के प्रदूषण से सम्बन्धित अनापत्ति भी प्रस्तुत किये गये हैं जो पत्रावली पर दाहिनी ओर संलग्न हैं।
8. स्थल पर लिफ्ट, जीना, टॉयलेट आदि चालू हालत में पाये गये।
9. सीवर निस्तारण हेतु एस०टी०पी० का प्राविधान भी स्थल पर किया गया है।

10. स्थल पर सोलर सिस्टम लगा नहीं हुआ पाया गया है।

11. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त पूर्णता प्रमाण-पत्र आवेदन पर आख्या अंकित कर दी गयी है जो अग्रिम आदेशार्थ प्रेषित है।

22/4/17

22/04/17
T.P.

कृपया अंश के क्रम में पक्ष को अवगत कराने का निर्देश देने का कदम करें।

HCL
22/4/17

अज्ञात

22/4/17
T.P.

B.F.